न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।।/निग./भिण्ड/भू.रा./2018/..........
निगरानी-6062/2018/भिण्ड/भू.रा.

बच्चूलाल शर्मा पुत्र स्वं श्री परमानन्द

निवासी – ग्राम फूप, तहसील/जिला भिण्ड (म.प्र.) ....आवेदक

08-10-18 प्रारंभिक तर्क हेतु 29-10-18 नियत।

बनाम

1– कृष्णगोपाल पुत्र रामसहाय

2– अजयकुमार पुत्र श्रीकृष्णवल्लभ

निवासी फूप जिला भिण्ड (म.प्र.)

3– तहसीलदार वृत्त फूप

4– मौजा पटवारी फूप

...........अनावेदकगण

08/10/18 (L.S. Dhaneey)

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 03/2015–16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.08.17 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, सजरा खानदान के अनुसार रामसहाय, मातादीन, परमानंद एवं किशन बल्लभ सगे भाई थें मातादीन लाऔलाद फौत हुये विवादित भूमि में चारों भाई समान भाग 1/4 के हिस्सेदार थें। किन्तु अनावेदक क. 1 व 2 ने मौजा पटवारी व तहसीलदार से मिलकर विवादित भूमि अपने नाम करा ली गयी। जबकि उक्त विवादित भूमि में खानदानी सिजरा के अनुसार नामांतरण होना था, तहसीलदार महोदय भिण्ड सर्किल फूप के प्रकरण कमांक 18/10–11/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2011 से अनावेदक क. 1व 2 द्वारा नामांतरण अपने नाम पर करवा लिया गया । तहसीलदार महोदय द्वारा नामांतरण प्रक्रिया का विधिवत पालन नहीं किया गया है, आवेदक को कोई सूंचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, मौके की रिपोर्ट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6062/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह **धाकड़** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	